त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत परियोजनाएं

3360. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को बड़ी परियोजनाओं के लिए वर्ष 1996-97 और 1997-98 के बजट में राज्य-वार और परियोजना-वार कितनी अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) अब तक जारी की गई धनराशि का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा है;

(ग) इसके परिणामस्वरुप कितनी सिंचाई क्षमता के सृजन होने की संभावना है; और

(घ) लम्बित परियोजनाओं के संदर्भ में सरकार का दृष्टिकोण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान 900 कोरड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। इन दो वर्षों के दौरान की गई केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम सहायता प्राप्त कर रही परियोजनाओं के पूरा होने पर कुल सृजित सिंचाई क्षमता 126.3 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है।

(घ) राज्य सरकारों के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता वार्षिक आधार पर उन परियोजनाओं के लिए मुहैया करायी जाती है, जो योजना केमानदंड को पूरा करती है।

विवरण

वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी केन्द्रीय ऋण सहायाता का ब्यौरा देने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 1996-97 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता	वर्ष 1997-98 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता
1.	आन्ध्र प्रदेश	35.25	74.00
2.	बिहार	13.50	14.04
3.	गोवा	—	2.25
4.	गुजरात	74.77	196.90
5.	हरियाणा	32.50	12.00
6.	हिमाचाल प्रदेश	—	6.50
7.	जम्मू और कश्मीर	1.30	—
8.	कर्नाटक	61.25	90.50
9.	केरल	3.75	15.00
10.	मध्य प्रदेश	63.25	114.50
11.	महाराष्ट्र	14.00	55.00
12.	पंजाब	67.50	100.00
13.	राजस्थान	2.68	42.00
14.	तमिलनाडू	20.00	—
15.	उत्तर प्रदेश	43.50	78.00
16.	उड़ीसा	48.45	85.00
17.	पश्चिम बंगाल	5.00	20.00
18.	असम	5.23	12.40
19.	त्रिपुरा	3.77	5.10
20.	मणिपुर	4.30	26.00
	कुल:	500.00	952.19